सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 71 / 2005

1 मालाराम आयु 65 वर्ष पुत्र लादुराम जाति माली पेशा खेती गत निवासी उदयपुरवाटी हाल निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जिला वन अधिकारी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 14.06.2005 दावा उनवानी मालाराम बनाम डिस्टीक्ट फोरेन्स ऑफिसर जिला वन अधिकारी वगैरह दावा स्थायी निषेधाज्ञा दावा संख्या 29 / 2003

उपस्थिति :

1. श्री जगदीश चन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.12.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2003 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 1 मीन रकबा 10 बीघा हाल खसरा नम्बर 7 रकबा 2.40 हैक्टेयर वाके ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी के बाबत अपीलांट वादी ने रेस्पोडेंट /प्रतिवादीगण के खिलाफ योग्य अदालत मातहत में दावा किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपीलांट वादी के दावे को निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2005 से खारिज कर दिया। इस कारण दावा डिक्री करवाने के लिये व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2005 को अपास्त करवाने के लिये अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी अपीलांट व उसके भाई नाथूराम, भोलूराम का संयुक्त हिन्दु परिवार रहा है और पेशा पूर्व में कृषि श्रमिक का और बाद में विवादित जमीन की काश्त करने का रहा है। विवादित जमीन के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि अपीलांट व उसके भाईयों के पास नहीं है और इस कृषि भूमि के अलावा आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। वर्तमान पैमाईस सन् 1988 में पूर्ण हुई उसके दौरान यह जमीन अपीलांट व उसके भाईयों नाथुराम व भोलुराम की टीनेन्सी में दर्ज हुई। अपीलांट वादी के 9 बालिका लड़के है व शादी शुद्वा है। नाथूराम के 6 बालिक लड़के व शादी शुद्वा है। भोलूराम के दो लड़के हैं इस जमीन में 9 अलग–अलग गुवाड़िया रिहायशी बनी हुई है जिसमें पुख्ता मकान बना रखे हैं। इस जमीन में दो कुए अपीलांट व उसके भाईयों के बनाये हुये है और जमीन की सिचाई इंजन से करते है। इस जमीन को खाद देकर उपजाउ बनाने व समतल करने व मकानात बनाने व कुए बनाने में अपीलांट व उसके भाईयों के लाखों रूपये खर्च हुये जो इस जमीन में लग। गुवाडिया व कुए बनाये भी काफी अर्सा हा गया। इस प्रकार विवादित जमीन में अपीलांट व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उसके भाईयों का कमाई का अधिकांश विवादित जमीन में खर्च हो चुका है। विवादित जमीन पर अपीलांट का कब्जा सन् 1955 से पूर्व से है। अपीलांट के कब्जा का नियमानुसार नियमन होने पर नामान्तकरण संख्या 84 बतौर टीनेन्सी सन् 1976 मे दर्ज किया गया। वन विभाग की जमीन की पैमाईस की गई तो सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने विवादित जमीन को वन सीमा से प्रथक अपीलांट का टीनेन्सी क्लेम मानकर किया। वन बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय के खिलाफ वन विभाग की और से अपील की गई जिसको न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू ने दिनांक 22.09.1990 को खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ वन विभाग ने निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की जो निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 07.08.1995 को खारिज कर दी और उक्त निर्णय अन्तिम हो चुक है। इस प्रकार विवादित जमीन वन विभाग में निहित नहीं हुई इस कारण योग्य अदालत मातहत ने विवाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय अपीलांट के खिलाफ करने में भूल की है। अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वन भूमि नियमन योग्य नही होते हुये भी यदि नियमन कर भी दिया है तो वह नल एण्ड वाईड है 21.11.1957 के गजट नोटिफिकेशन पर कोई आपत्ति नही दी गई है। 1973 में अन्तिम गजट नोटिफिकेशन वन भूमि का जारी हुआ इस पर भी कोई आपत्ति नही दी गई है। दिनांक 12.12.1996 के माननीय उच्च न्यायालय एवं एन.जी.टी. के आदेशों की पालना में वाद खारिज योग्य था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादी विवादित भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज होना मानकर कब्जे के संरक्षण हेतु दावा लेकर आया है। जबकि वाद दायर करने के दिन वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज थी। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण पंजिका के अनुसार नियमन कमेटी के निर्णय एवं तहसीलदार के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आदेश दिनांक 24.03.1978 के तहत सरंपच बागोरा दारा वादी के पक्ष में स्वीकार किया गया था। उक्त इंतकाल की प्रविष्टी जमाबन्दीय में होने तथा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम स्वीकार होने बाबत वादी ने कोई दस्तावेज पेश नही किया है। नियमानुसार अतिक्रमी के पक्ष में नियमन आदेश जारी होते ही उक्त खसरा नमबर में से रकबा कम किया जाकर जमाबन्दी में उसकी खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये थी, परन्तु जमाबन्दी संवत 2033–36 में वादी को गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। रिकार्ड यह स्थिति सन 1985 तक कायम रही तथा वादी को खातेदारी अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिये गये। वादी ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 15.07.1985 की सत्यप्रति की छाया प्रति पेश किया है जिसमें पुन वादी के पक्ष में गैर खातेदारी का पर्चा जारी करने का उल्लेख किया गया। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 08.03.1973 के अनुसार वादग्रस्त भूमि को राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1957 जो दिनांक 06.02.1958 को राजपत्र में प्रकाशित हुई, जिसके बारे में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु उदघोषणा दिनांक 14.02.1964 को जारी किये जाने के पश्चात वादग्रस्त खसरा नम्बर 1 को वन भूमि घोषित किया गया था। नियमानुसार राज्य सरकारी की विज्ञप्ति एवं उदघोषणा जारी होने के पश्चात उक्त भूमि के समबंध में आवंटन एवं नियमन के अधिकार किसी कमेटी या अधिकारी को नही थे। फिर भी कथित नियमन कमेटी ने मांग एवं व्यक्ति के पक्ष में सन 1972 में नियमन का निर्णय लिया। जाहिर है कि उक्त कमेटी को राज्य सरकार की विज्ञप्ति एवं उदघोषणा की जानकारी थी, इसी लिये वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज करने के आदेश के तीन माह पश्चात कथित नियमन की कार्यवाही की गई। विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने के पश्चात संदेहास्पद तरिके से रिकार्ड में फेरबदल की यह कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य है। वन विभाग की भूमि प्रतिबंधित होने के कारण उस पर लगातार कब्जे के कारण किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा विधि के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

प्रतिकूल है। अतः वह बेदखली का दायी है तथा कब्जे का बनाये रखने के लिये किसी प्रकार को अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक भूल नही की है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर